न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 104/2022

श्री लीला राम सैनी पुत्र श्री भागीरथ सैनी, ढाणी स्वामी वाला तन प्रतापपुरा, पोस्ट बबाई, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333501, मो0न0 9588947100

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 06.04.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.03.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 104/2022 पर दिनांक 25.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1197 –98 दिनांक 25.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक रीडर/2022/146 दिनांक 01.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री लीलाराम सैनी पुत्र श्री भागीरथ सैनी, ढाणी स्वामी वाला तन प्रतापपुरा, पोस्ट बबाई, जिला झुंझुनूं, राजस्थान द्वारा इस कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी। प्रार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू0अ0/22/625 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक रीडर/2022/146 दिनांक 01.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री लीलाराम सैनी पुत्र श्री भागीरथ सैनी, ढाणी स्वामी वाला तन प्रतापपुरा, पोस्ट बबाई, जिला झुंझुनूं, राजस्थान द्वारा उनके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी। प्रार्थी को वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक भू0अ0/22/625 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित [illegible]

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:25 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं